शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 15 – 22 अगस्त 2022 मूल्य पांच रूपए

राजभवन को गुमराह करने का लग रहा सरकार पर आरोप

शपथ ग्रहण समारोह स्थगित होने के बाद डॉ. रचना गुप्ता के पत्र क्यों?

2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के नाम पर 2017 में भाजपा ने मीरा वालिया की नियुक्ति पर उठाये थे सवाल

फरवरी 2020 में प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया और नियम बनाने के दिए थे निर्देश

सरकार अदालती निर्देशों को राज्यपाल के संज्ञान में क्यों नहीं लायी?

आयोग में 2019 में खाली हुए पदों को क्यों नहीं भरा गया?

क्या पीएमओ के दखल से रद्द हुआ शपथ समारोह

राजनीतिक दलों का रुख क्या होगा अदालती निर्देशों पर

लोक सेवा आयोग प्रकरण में

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अभी 17 अगस्त को प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और तीन सदस्यों को नियुक्त किये जाने की अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचना जारी होने के बाद 18 अगस्त को सुबह 8.30 बजे राजभवन में इस संबंध में शपथ ग्रहण समारोह तय किया गया था। क्योंकि जब तक राज्यपाल पद की शपथ नहीं दिला देते तब तक अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यह शपथ ग्रहण समारोह हो नहीं पाया। राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समय से पहले ही सभी आमन्त्रितों को समारोह के स्थगित होने की सूचना दे दी गयी। 17 अगस्त को शाम पांच बजे के बाद नियुक्ति की अधिसूचनाएं जारी हुई और 18 अगस्त को सुबह 8.30 बजे रखे गये शपथ समय से पहले ही समारोह रद्द हो गया। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह से शपथ समारोह टला हो। इस समय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये कोई ठोस प्रक्रिया है या मानक नहीं है। संविधान में यह सब सरकार के विवेक और इच्छा पर छोड़ दिया गया है। लेकिन जब सरकारों ने अपने विवेक और इच्छा का न्यायिक उपयोग नहीं किया तब कुछ लोग जनहित में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे और अदालत में ऐसी नियुक्तियों को रद्द करते हुए सरकारों को इस संबंध में प्रक्रिया और निश्चित नियम बनाने के निर्देश दिये हैं। बल्कि जब तक सरकार और विधायिका ऐसा नहीं कर पाये तब तक अदालत ने इस संबंध में प्रक्रिया तय की है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में हिमाचल उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में इस आशय के निर्देश जारी किये हुए हैं जिन पर राज्य सरकार आज तक अमल नहीं कर पायी है और यह अमल न हो पाना ही सरकार की नीयत और नीति पर सन्देह करने का पर्याप्त आधार बन जाता है।

स्मरणीय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा ने वीरभद्र सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग में कालिज की प्राचार्य रही मीरावालिया की बतौर सदस्य हुई नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध करार दिया था। क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था जिस पर अमल नहीं हुआ था। बल्कि इसी आधार पर मीरा वालिया की नियुक्ति को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौति भी दे दी गयी। लेकिन जनवरी 2018 को ही जयराम सरकार ने आयोग में सदस्यों के दो पद सृजित कर दिये और एक पद पर डॉ.रचना गुप्ता ने 16.01.2018 को ही पद भार ग्रहण कर लिया लेकिन दूसरा सृजित पद आज तक नहीं भरा गया। बल्कि इस समय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित छः पद सृजित होने के बावजूद डॉ. रचना गुप्ता ही एकमात्र सदस्य रह गयी हैं। क्योंकि जय प्रकाश काल्टा भी 9 – 5 – 2022 को सेवानिवृत्त हो गये और 13 – 5 – 2019 को मोहन चौहान और 17 – 10 – 2019 को डॉ. मान सिंह के सेवानिवृत्त होने पर यह पद भरे ही नहीं गये। इस तरह 17 – 10 – 2019 से आज तक डॉ. रचना गुप्ता ही आयोग में सीनियर मैम्बर रह गयी और आयोग के काम का अधिकांश भार उन्हीं पर आ गया। ऐसे में यह सवाल आज तक रहस्य बना हुआ है कि 2019 में खाली हुए सदस्यों के दो पदों को भरा क्यों नहीं गया? क्या इसके लिये सरकार पर कोई दबाव था या इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यह भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाला एक बड़ा आधार बनता है। क्योंकि इससे पूरे आयोग के व्यवहारिक रूप से एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होने की परिस्थितियां निर्मित हो गयी।

इस परिदृश्य में अब हुई नियुक्तियां और शपथ ग्रहण समारोह का तय होने के बाद स्थगित हो जाना तथा स्थगन होने के बाद डॉ.रचना गुप्ता का राज्यपाल को पत्र लिखकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने में असमर्थता दिखाना भाजपा के अन्दर की कहानी पर बहुत कुछ कह जाता है। क्योंकि जब यह नियुक्ति हुई तब इस बारे में डॉ. रचना गुप्ता से सहमति न ली गयी हो ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। यह नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी और सहमति के बिना हुई हो ऐसा भी प्रदेश की राजनीति की जानकारी रखने वाले मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में शपथ का स्थगित होना और डॉ. रचना गुप्ता का यह पत्र लिखने को बाध्य होना स्पष्ट संकेत हैं कि यह सब प्रधानमंत्री या गृह मन्त्री के दखल के बिना संभव नहीं हुआ है। चार माह बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस दौरान कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षण चर्चा में आ चुके हैं। किसी भी सर्वेक्षण में भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर पायी है। जयराम सरकार का सारा शीर्ष प्रशासन किस तरह के विवादों में है यह दस्तावेजी प्रमाणों के साथ जनता के सामने आ चुका है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सामाजिक सक्रियता भी औद्योगिक निवेश के लिये आयोजित इन्वैस्टर मीट में शिरकत करने तक पहुंचना भी सबके संज्ञान में है और इसको लेकर आने वाले समय में सवाल उठने स्वभाविक हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में इस नियुक्ति के बाद उभरने वाली राजनीति के परिणामों को सामने रखकर ही यह स्थगन हुआ है। संभव है कि इसके बाद कुछ और भी अप्रत्याशित देखने को मिल जाये।

लेकिन यह जो कुछ हुआ है इसके बाद राजभवन और राजनीतिक दल सभी एक साथ सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर एक

यह है भट्टाचार्य की मेल

ILLEGAL SELECTION OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION IN VIOLATION OF SUPREME COURT ORDERS IN SALIL SABHLOK V/S PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION CASE OF 2013.

1 message

Dev Ashish Bhattacharya RTI Warrior <rtidab@gmail.com> Thu, Aug 18, 2022 at 06:27
To: governorsecy-hp@nic.in

To,
The Hon'ble Governor,
Goverment of Himachal Pradesh,
Shimla.

Sir,

Kindly find attachment of the notifications dated 17.08.2022 of the selection of the Chairman and Members of Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla. These notifications were issued at about 6pm on 17.08.2022 and swearing in ceremony of them shall take place at 8.30am at Raj Bhawan Shimla on 18.08.2022.

All of these selections are in violation of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India in the case titled as Salil Sabholk v/s Punjab Public Service Commission.

You are therefore requested to not to administer the oath of office to these illegally selected candidates and direct the government of Himachal Pradesh to implement the directions of the Hon'ble Supreme Court of India and then select the Chairman and members of Himachal Pradesh Public Service Commission.

Regards,
Dev Ashish Bhattacharya,
B-5, Pocket 7, Block 54,
Kendriya Vihar 2, Sector 82,
Noida, U.P.-201304,
Mobile: 9810108363.

ILLEGAL SELECTION OF THE CHAIRMAN AND MEMBERS OF HIMACHAL PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION.

1 message

Dev Ashish Bhattacharya RTI Warrior <rtidab@gmail.com> Wed, Aug 17, 2022 at 21:43
To: hicourt-hp@nic.in

To,
The Hon'ble Chief Justice,
High Court of Himachal Pradesh,
Shimla.

Sir,

Kindly find attached the notification dated 17.08.2022 vide which the Chairman of Himachal Pradesh Public Service Commission has been appointed. This notification was put on public domain at about 6pm in the evening of 17.08.2022. Kindly find another notification dated 17.08.2022 vide which the Chairman and members selected were informed that the swearing in ceremony shall take place on 18.08.2022 at 8.30am.

May I inform your lordship that these selections are made in utter violation of the orders of the Supreme Court which were given in case titled as Salil Sabholk versus Punjab Public Service Commission.

And to prevent anybody to go to court the government of Himachal Pradesh has issued the notification after the court hours and swearing in is fixed before the courts begin their work.

Your goodself is requested to take appropriate action on these illegal selections.

Regards,
Dev Ashish Bhattacharya,
B-5, Pocket-7, Block-54,
Kendriya Vihar 2, Sector 82,
Noida,U.P.-201304.
Phone: 9810108363.

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीशों को दिलाई शपथ

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो नवनियुक्त न्यायाधीशों सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह को एक सादे एवं गरिमामयी समारोह में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद भी उपस्थित रहे।

शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने शपथ समारोह की कार्यवाही का संचालन किया और नवनियुक्त न्यायाधीश सुशील कुकरेजा और वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति वारंट पढ़ा।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने शपथ पत्र पर राज्यपाल और नवनियुक्त न्यायाधीशों के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

समारोह के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.एस. राणा, विधायक, महाधिवक्ता अशोक शर्मा, विभिन्न बोर्डो और निगमों के अध्यक्ष, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति के आकलन के लिए मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को पर्याप्त मशीनरी तैनात करने और प्रभावित क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि संबंधित उपायुक्त भारी वर्षा से हुए नुक्सान की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करें और प्रभावित लोगों को शिविरों में आश्रय प्रदान करें तथा नुक्सान के सही आकलन के लिए इनके बयान भी दर्ज करें। इन लोगों के रहने और खाने-पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। भूस्खलन और बाढ़ से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों को बंद करके इन संस्थानों या अन्य सामुदायिक भवनों में शिविर स्थापित किए जा सकते हैं।

मुख्य सचिव ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों को एसडीआरएफ से 232.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सभी जिलों में इस समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपायुक्त और एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए पेयजल स्रोतों की सफाई सुनिश्चित करवाएं। आवश्यकता पड़ने पर राहत शिविरों और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करवाएं। आर.डी. धीमान ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को पौंग बांध, चमेरा बांध और अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के जलाशयों के जल स्तर पर लगातार नजर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में लोगों को अलर्ट करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों के लिए आवश्यक एडवायजरी जारी करके उन्हें अलर्ट करें। बैठक में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और बादल फटने की कुल 34 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 16 लोगों की मौते हुई हैं और अभी 8 लोग लापता हैं। मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य में कुल 742 सड़कें बंद हुई हैं, जिनमें से 407 को शनिवार शाम तक बहाल कर दिया जाएगा। जबकि, 268 सड़कें रविवार तक बहाल कर दी जाएंगी। प्रदेश भर में कुल 172 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें से 39 योजनाओं की आपूर्ति रविवार तक बहाल कर दी जाएंगी।

नौणी विवि में पार्थिनियम उन्मूलन अभियान का किया आयोजन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में पार्थिनियम उन्मूलन अभियान का दूसरा चरण आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पार्थिनीयम जिसे गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है और एक विषैली खरपतवार है, के बारे में जागरूकता लाना था। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों, संकाय और छात्रों ने इस अभियान में भाग लिया।

अपने संबोधन में नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि पार्थेनियम अब जैव विविधता के लिए खतरा बन गया है और सभी से इस अभियान को पूरे वर्ष जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने जैव विविधता और कृषि उत्पादन पर पार्थेनियम के प्रभाव के बारे में भी बताया।

अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव कुमार चौहान ने विश्वविद्यालय के छात्रों से इस खरपतवार के बारे में जागरूकता फैलाने और परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों से इस खरपतवार का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और हैड डॉ. एसके भारद्वाज ने कार्यक्रम और पार्थेनियम खरपतवार के उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में बताया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. एमएस झांगड़ा ने अभियान में भाग लेने वाले 900 से अधिक प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।

इस अभियान में कर्मचारियों और छात्रों को पाँच टीमों में बांटा गया। प्रत्येक समूह को विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से पार्थिनियम हटाने का कार्य सौंपा गया। फील्ड गाइड और ग्रुप लीडर के सतर्क देखरेख में यह अभियान पूरा किया गया जिसके बाद इस खरपतवार का उचित तरीके से निपटारा किया गया। पार्थिनियम से एलर्जी श्वसन और त्वचा रोग जैसी समस्याओं होती है। इस खरपतवार के आक्रामक विकास के कारण, यह फसल उत्पादन में कमी का कारण बनती है और जैव विविधता पर प्रभाव डालती है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अन्जना

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि जन्माष्टमी देशवासियों का एक पावन पर्व है, जिसे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं व दर्शन आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, जिनका अनुसरण कर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने संदेश में कहा कि श्री कृष्ण भगवान के गीता दर्शन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता हिन्दू धर्म ग्रंथों और धार्मिक दर्शन का सार है तथा सभी के लिए सफल जीवन जीने का एक मार्गदर्शक भी है।

राज्यपाल ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता, युग पुरुष और हमेशा आदर्शो का पालन करने वाले राजनेता थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए उनके बहुमूल्य योगदान और सेवाओं के लिए देशवासी उन्हें सदैव याद रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और यहां के लोग सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दायित्वों और व्यस्तताओं के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष कुल्लू जिला के प्रीणी गांव आते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता, बेहतरीन सांसद और महान व्यक्तित्व थे।

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक बलबीर वर्मा, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बाद 10 अगस्त 2022 को अंतिम रूप से प्रकाशित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह सूची सभी उपायुक्त और एसडीएम कार्यालयों में आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट सीईओ हिमाचल डॉट जीओवी डॉट इन पर भी मतदान केंद्रों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

मंडी में होगा परिवहन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय अधिसूचना जारी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण का मुख्यालय मंडी में होगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय अधिकरण का गठन मोटरयान अधिनियम-1988 के तहत किया गया है।

महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए महिला सशक्तिकरण आवश्यक है और पुलिस बलों में महिलाओं की अधिक से अधिक उपस्थिति इस दिशा में उत्प्रेरक साबित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री दो दिवसीय 10वें महिला पुलिस राष्ट्रीय सम्मेलन की प्रतिभागियों के लिए आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले आठ वर्षों के दौरान देश भर के पुलिस बलों और अन्य सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां अपराध दर बहुत कम है। इसके बावजूद राज्य की पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भी सदैव तत्पर रहती है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने न केवल राज्य में प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित की है, बल्कि देश के सबसे अनुशासित पुलिस बलों में भी अपनी जगह बनाई है।

कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत

समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्य सचिव आरडी धीमान, बीपीआर एंड डी के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिले के सराहां से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें तत्काल राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बचाव दल और मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों और अस्पतालों की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए फिसलन वाले स्थानों और नदी तटों से दूर रहने का परामर्श दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय दल भेजने का अनुरोध किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में अब तक पिछले 24 घंटों के दौरान 20 मौतें हुई हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रभावी बचाव कार्यों के लिए उचित समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में आवश्यकतानुसार स्कूल बंद करने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवारों को अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने आश्वस्त किया कि क्षतिग्रस्त सड़कों और सभी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए समयबद्ध हर संभव व्यवस्था पूर्ण की जाएगी।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अन्तर्गत निर्मित किए गए 5600 मकान: सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 5600 मकानों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लिए 10 हजार मकान स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो माह के भीतर लगभग 2000 से अधिक मकान निर्मित हो जाएंगे। इन मकानों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को विस्तार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को 876 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्रदेश सरकार ने अब तक केंद्र से 133 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं जिसमें से लगभग 125 करोड़ रुपये उपयोग में लाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त, 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ से अधिक मकान निर्मित करना था। केंद्र सरकार ने इस योजना के विस्तार को 31 दिसम्बर, 2024 तक स्वीकृति प्रदान की है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मकान के निर्माण में अधिक समय लगता है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से उन्होंने देश भर में हर परिवार के लिए एक पक्के घर की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता प्रदान की है और इस वर्ष अक्तूबर तक कुल दस हजार स्वीकृत मकानों में से आठ हजार मकान तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत दस हजार से अधिक मकानों में से बिलासपुर जिला के लिए 889, चम्बा जिला के लिए 496, हमीरपुर जिला के लिए 498, कांगड़ा जिला के लिए 3428, कुल्लू जिला के लिए 373, मंडी जिला के लिए 1171, शिमला जिला के लिए 282, सिरमौर जिला के लिए 276, सोलन जिला के लिए 409 और ऊना जिला के लिए 2187 मकान स्वीकृत किए गए हैं।

पशुओं में लम्पी चमड़ी रोग की रोकथाम के लिए पशु पालन विभाग सक्रिय:वीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पशु पालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गौवंश में लम्पी चमड़ी रोग फैलने की आशंका को कम करने तथा इसे नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने पशु पालन विभाग के माध्यम से त्वरित कदम उठाए हैं।

पशु पालन मंत्री ने बताया कि सभी प्रभावित जिलों में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें बनाई गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों के पांच किलोमीटर के दायरे में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और अभी तक 27,831 गायों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है और पशुपालकों को जागरुक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रोगी पशुओं के उपचार के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए 12 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी जारी की गई है। विभाग के रोगव्यापिकी विंग के उपनिदेशक डॉ. अरुण सरकैक (मोबाइल नंबर 94180-44545) को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वीरेंद्र कंवर ने बताया कि प्रदेश स्तर पर और सभी जिलों के उपनिदेशकों से लम्पी चमड़ी रोग की ताजा स्थिति की जानकारी ली जा रही है। अब तक उपनिदेशकों से बैठक के दौरान प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश के आठ जिलों में कुल 4544 पशु लम्पी चमड़ी रोग से ग्रसित पाये गये हैं और 134 गौवंश की मौत हुई है।

वीरेंद्र कंवर ने सभी पशु पालकों से आग्रह किया है कि पशुओं में लम्पी चमड़ी रोग के लक्षण दिखते ही वे तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान में संपर्क करें तथा बीमार पशुओं को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। पशुशाला और उसके आस-पास की जगह को कीटाणु और मक्खी-मच्छर मुक्त करने के लिए दवाईयों का छिड़काव करें तथा पशुओं को रोग प्रतिरोधी टीके लगवाएं।

विकास की पर्याय हैं भाजपा की सरकारें: जगत प्रकाश नड्डा

शिमला/शैल। सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है तो विकास कार्यों को नई गति मिलती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकारें विकास का पर्याय बन गई हैं।

उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और चहुमुखी विकास भाजपा की सरकारों के कारण ही संभव हुआ है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नाहन में 333 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कालेज बन रहा है और सिरमौर जिले में आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की स्थापना भी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत तेजी से बदल रहा है। कोरोना रोधी टीकाकरण में देश में पहला स्थान हासिल करने पर भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राज्य ने जल जीवन मिशन में भी सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

इस अवसर पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का स्वागत किया और क्षेत्र में जारी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी।

इस अवसर पर सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, राज्य विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से 3711.10 लाख रुपये जारी

शिमला/शैल। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे-मील) योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी उप-निदेशकों (प्रारम्भिक शिक्षा) को सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा (पीएफएमएस) के अन्तर्गत 6 अगस्त, 2022 को 3711.10 लाख रुपये का बजट वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह बजट उप-निदेशकों के माध्यम से प्रदेश के सभी खण्डों/विद्यालयों को वितरित किया गया है।

पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए जारी की एडवाइजरी

शिमला/शैल। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के दृष्टिगत पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।

निदेशक, पर्यटन और नागरिक उड्डयन अमित कश्यप ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। उन्होंने पर्यटकों से आग्रह किया कि वे हिमाचल प्रदेश का भ्रमण करने से पहले राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की वेबसाइट https://hpsdma.nic.in पर जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

उन्होंने राज्य में भ्रमण पर आए पर्यटकों को परामर्श दिया कि वे नदी किनारों और भू-स्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। किसी भी आपात स्थिति में वे पर्यटन विभाग और एचपीटीडीसी के पर्यटक सूचना केंद्रों से संपर्क करें। www.himachaltourism.gov.in या www.hptdc.in या https://hpsdma .nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने पर्यटकों को परामर्श दिया कि वे यात्रा के लिए सड़कों व पर्यटन स्थलों के बारे में पूर्व सूचना अवश्य प्राप्त करें।

आबकारी अधिकारियों को दी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की जानकारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में एक्साइज ई-गवर्नेंस प्रणाली के तहत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने 17 और 18 अगस्त को शिमला में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कार्यशाला के दौरान फील्ड के अधिकारियों को इस आधुनिक प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की मदद से हिमाचल प्रदेश लोक वित्त प्रबंधन- क्षमता निर्माण (एचपीपीएफएम-सीबी) की इस परियोजना के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कई प्रक्रियाओं का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इस हाईटेक प्रक्रिया से विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के दक्षिणी जोन के जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बीबीएन के अलावा जोनल स्तर के अधिकारियों ने भी भाग लिया। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के अन्य दो जोन के अधिकारियों तथा विभिन्न बाहरी हितधारकों के लिए भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

कार्यशाला के उद्घाटन और समापन सत्र की अध्यक्षता राज्य कर और आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त डॉ.राजीव डोगरा ने की। उन्होंने कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो, गंदे और मैले विचारों में भी शर्म आनी चाहिए।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

अमृत काल में विश्वास का टूटना

आजादी के स्वर्णिम जयन्ती को अमृत काल की संज्ञा दी है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने। इस अमृत काल में स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर प्रधानमंत्री के गुजरात में ही बिलकिस बानो के दोषीयों को न केवल रिहाई का तोहफा दिया गया बल्कि उन्हें एक तरह से सम्मानित भी किया गया। 2002 में जब गुजरात में गोधरा काण्ड घटा था तब उसके बाद राज्य में दंगे भड़क उठे थे। इन्ही दंगों में दंगाईयों ने बिलकिस बानो के परिवार के साथ व्यस्क सदस्यों की हत्या करने के बाद उसकी गोद से बच्चे को छीन कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। दंगाई इतने पर ही नहीं रुके बल्कि 5 माह की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार भी किया। बाद में इस पर मुकद्दमा चला मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सभी ग्यारह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय में इसकी अपील दायर हुई और हाईकोर्ट ने भी विशेष अदालत के फैसले को बहाल रखा। इन दोषियों को मृत्युदण्ड की सजा क्यों नहीं हुई इसका जवाब आज तक नहीं आया है और यही इनके प्रभावशाली होने का प्रमाण है। अब स्वर्ण जयंती के अमृत काल में गुजरात सरकार ने इन्हें रिहाई का तोहफा दिया। संगठन से जुड़े मंचों ने उन्हें भगवा पटके पहनाकर और माथे पर तिलक लगाकर सम्मानित किया। पूरे देश ने यह देखा है। यह लोग इतने बड़े जघन्य अपराध के दोषी थे जिन्हें अदालत ने सजा दी थी। अब ऐसे लोगों की रिहाई जहां कानून के कमजोर पक्षों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है वहीं पर इनका इस तरह से सम्मानित किया जाना समाज के एक वर्ग की मानसिकता और नीयत पर जो सवाल खड़े कर जाती है उसके परिणाम आने वाले समय के लिये घातक होंगे। क्योंकि इस तरह के आचरण से विदेशों में भी सरकार और देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब विश्व गुरू बनने का दावा करने वाले समाज की यह तस्वीर विश्व के सामने जायेगी कि यहां तो जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा उसका महिमा मण्डन और इनसे भी बड़ी सरकार की चुप्पी तो सारा परिदृश्य ही बदल जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक संघ परिवार सहित किसी ने भी ऐसे आचरण की निंदा नहीं की है। केवल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इसे देश का दुर्भाग्य कहा हैं इन्हीं गुजरात दंगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी बाजपेयी ने यहां राजधर्म की अनुपालना न होने की बात की थी। परन्तु पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया था कि इन दंगों में प्रायोजित जैसा कुछ नहीं है और इस फैसले के बाद जिस तरह से यह मामला उठाने वालों के खिलाफ कारवायी हुयी क्या उस पर इस आचरण के बाद स्वत: ही प्रश्नचिन्ह नहीं लग जाता है? क्या इस परिदृश्य में आज सीबीआई, ई डी और अन्य एजेंसियां जो सक्रियता दिखा रही है उन पर आसानी से आम आदमी का विश्वास बन पायेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसे महिमा मण्डन का स्वत: संज्ञान लेकर कुछ कारवाई का साहस दिखायेगा? क्या इसी पृष्ठभूमि में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यह कहने को बाध्य नहीं हुये कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद नहीं रही? क्योंकि अब जांच एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग होने के खुले आरोप लगने लग पड़े हैं। जांच एजेंसियों और न्यायिक व्यवस्था पर से उठता विश्वास कालान्तर में लोकतंत्र के लिए बहुत घातक प्रमाणित होगा यह तय है।

स्लाम नुसंतारा : इस्लाम का इंडोनेशियाई वरजन, जो देता है विश्व शांति का पैगाम

गौतम चौधरी

इन दिनों केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम के इंडोनेशियाई वर्जन नुसंतारा पर बहस छिड़ी हुई है। भारत सहित दुनिया के कई विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। भारत के एक हिन्दू दक्षिणपंथी नेता ने तो इसे इस्लाम का आधुनिक रूप तक बताया दिया। उन्होंने भारत के मुसलमानों को इस मॉडल का अनुसरण करने की सलाह दी है। उनकी समझ यह है कि यह मुसलमानों को उनके मौजूदा संकट से मुक्ती दिलाने में बेहद कारगर सिद्ध होगा। यही नहीं शेष राष्ट्र के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। आइए इस्लाम के इस इंडोनशियाई मॉडल पर चर्चा करते हैं।

इंडोनेशिया के इस इस्लामिक स्वरूप का नाम इस्लाम नुसंतारा है। यह इस्लाम का सक्रिय रूप से चुना गया एक वैकल्पिक संस्करण है जिसे 2015 में इंडोनेशिया में इस्लामिक विद्वानों के एक समूह द्वारा तैयार किया गया था। यह आईएसआईएस के कट्टरपंथी के खतरे के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। इस्लाम के इस संस्करण का मुख्य एजेंडा राष्ट्र-राज्य की अवधारणा की रक्षा करना और इस्लामी शिक्षाओं के उदार मूल्यों की वकालत करना है, जो किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं में हस्तक्षेप नहीं करता। यह जिहाद के विचार को पुरातन इस्लाम की चरम शिक्षा के रूप में खारिज करता है। इस्लाम के इस सुधारवादी संस्करण की निगरानी नहदलातुल उलमा नामक विद्वानों के एक समूह द्वारा की जाती है, जो इंडोनेशियाई सरकार के सहयोग से काम करते हैं। इस्लाम के इस मॉडल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने राष्ट्रीय चेतना को धार्मिक सिद्धांत के साथ घालमेल नहीं किया है। यह उम्मत की अवधारणा का विरोध करता है, जो राष्ट्र के सीमाओं के परे इस्लाम के बैनर तले एकजुट होने वाले भाईचारे को संदर्भित करता है।

सच पूछिए तो इंडोनेशिया के विचारवान उलेमाओं ने जिस प्रकार की अवधारणा प्रस्तुत की है उसी प्रकार की धारणा भारतीय मुसलमानों को भी बनाना चाहिए। यदि इस्लाम के इतिहास को देखें तो खुद इस्लाम के मानने वालों ने भी कुछ गैरजिम्मेदार शासकों के खिलाफ झंडा बुलंद किया है। यह संभव नहीं है कि दुनिया के लोग एक जैसे दिखें और एक जैसे कपड़े पहने। यह भी संभव नहीं है कि दुनिया के सभी लोग एक ही संस्कृति को मानें और एक राष्ट्रीयता को मानें। इंडोनेशिया ने दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाया है। भारत में भी इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। मुगल शासकों में कुछ को छोड़ कर अधिकतर ने कभी तुर्कों के खिलाफत को मान्यता नहीं दी। भारत में सल्तनत काल में भी कई शासकों ने ऐसा किया लेकिन वे इस्लाम के पक्के विश्वासी थे। ऐसे में इस्लाम के लिए अरबी संस्कृति की जरूरत नहीं है।

जब तुर्की में अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा ने सत्ता संभाली तो उसने कुरान का तुर्की भाषा में अनुवाद करवाया। हालांकि उसकी मान्यता नहीं मिली लेकिन विश्व की बदल रही व्यवस्था में ऐसा करना होगा। कुरान को किसी अन्य भाषा में न भी अनुवाद कराएं लेकिन किसी देश की राष्ट्रीयता और उसकी संस्कृति से जब इस्लाम की टकराहट हो तो वहां इस्लामी विद्वानों को नरम रुख अपनाना ही पड़ेगा अन्यथा यह विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करेगा। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। भारतीय मुसलमान भी यदि इस्लाम के ऐसे ही मॉडल को स्वीकार करते हैं और अरबी संस्करण को छोड़ देते हैं, तो भारत कई प्रकार की परेशानियों से बच जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने अक्सर राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को कमजोर करके इस्लामिक स्टेट के जड़वादी संस्करण को बढ़ावा दिया है। अमूमन उलेमा इस्लाम को समावेशी अवधारणा के बजाय कटरपंथी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इससे युवाओं में कट्टरता बढती है और समस्या खड़ी होती है। युवा गुमराह हो रहे हैं। जैसा कि इस्लाम नुसंतारा ने बताया है, आस्था का स्थानीयकरण चरमपंथी विचारधाराओं की संभावना को बहुत कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशियाई मदरसों ने अपने उदार चरित्र का श्रेय फिक्ह शिक्षा में बहतसुल मासाइल मॉडल को दिया है, जिसका नेतृत्व एक धार्मिक विद्वान करते हैं और इसमें पुरुष और महिला दोनों छात्र शामिल होते हैं। यह सीखने का मॉडल इंडोनेशियाई मुसलमानों को उनके स्थानीय संदर्भ में फिक्ह की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है। भारत में भी इस तरह की व्याख्या की आवश्यकता है, ताकि स्थानीय संदर्भ में इस्लाम को समझा जा सके। सूफी परंपरा ने भक्ति परंपरा के कई तथ्यों को अपने साथ जोड़ा है। इसके कारण भारत में समकालिक संस्कृति के विकास में मदद मिली।

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, जो किसी भी परिवर्तन के बावजूद, अभी भी इस्लाम के प्रभाव में कार्य करता है। भारत एक बहुधर्मी देश होने के कारण इस्लाम नुसंतारा के इंडोनेशियाई मॉडल का पालन करना कठिन हो सकता है। हालांकि, मॉडल को भारतीय संस्करण में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि इस्लामी चरमपंथ की समस्या दोनों देशों के लिए समान है। भारत में हाल ही में उदयपुर में हुई हत्या की तरह, इंडोनेशिया को भी 90 के दशक के अंत में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यह अंतर-धार्मिक संगठनों और रचनात्मक संवादों के गठन के माध्यम से हल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस्लाम नुसंतारा का निर्माण हुआ। इंडोनेशिया द्वारा अपनाए गए मार्ग से सीखते हुए, भारत के मुसलमान इस्लाम नुसंतारा का उपयोग भारतीय संस्करण में परिवर्तित कर कर सकते हैं। इस्लाम को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही साथ ही बहुधार्मिक सहिष्णुता में भी बढ़ोतरी होगी।

जैसा कि सूफी परंपरा ने हमें सिखाया है, नफरत से केवल प्यार से ही निपटा जा सकता है और यह प्यार इस्लाम नुसंतारा द्वारा आसानी से प्रदान किया जा सकता है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के फुलवारीशरीफ मॉडल के पर्दाफाश से पूरा देश सन्न है। इस मॉडल की जांच से पता चलता है कि भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने की कोशिश करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कैडर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इसका विस्तार रोकना है तो भारतीय सूफीवाद के साथ इस्लाम नुसंतारा को फ्यूज कर नए इस्लामिक मॉडल को गढ़ने की जरूरत है।

प्रदेश में 74.50 लाख आबादी को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा खाद्यान्न

शिमला। हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रदेश में लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवा राज्य में कल्याणकारी सरकार के अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने एनएफएसए के तहत चिन्हित राज्य के 30.27 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत नि:शुल्क राशन प्रदान कर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के प्रयासों को भी सार्थक किया है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 19 लाख, 62 हजार 465 राशन कार्ड धारकों की लगभग 74.50 लाख आबादी को 120 भंडारण केंद्रों और 5096 उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन राशन कार्ड धारकों में 748619 राशन कार्ड धारक एनएफएसए के तहत आता हैं, जबकि 12,13,846 अन्य राशन कार्ड धारक शामिल हैं। प्रदेश में केन्द्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अन्तर्गत आने वाले सभी पात्र 30. 27 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम राशन भी नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की जन हितैषी सोच और हर व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। एनएफएसए में अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले घरों को शामिल किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की कुल 36.82 लाख आबादी को एनएफएसए के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 30.27 लाख आबादी को एनएफएसए के अन्तर्गत लाया जा चुका है। केन्द्र की ओर से राज्य को एनएफएसए के तहत कुल 16857. 470 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 9900.613 मीट्रिक टन गेंहू और 6956.857 मीट्रिक टन चावल शामिल है।

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल सभी पात्र 30. 27 लाख लाभार्थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी उठा रहे हैं। लाभार्थियों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को नि:शुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर वर्ष 2020 – 2021 में 366.50 करोड़ रुपये व्यय किए गए। गरीब वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए मई, 2021 में योजना की अवधि को मार्च, 2022 तक आगे बढ़ाया गया और इस अवधि के दौरान नि:शुल्क राशन प्रदान करने पर 435.11 करोड़ रुपये व्यय कर राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को 65018.855 मीट्रिक टन चावल और 92526.225 मीट्रिक टन गेंहू उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार केंद्र की ओर से योजना को एक बार फिर सितंबर, 2022 तक आगे बढ़ाकर नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 20 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से या 18.800 किलोग्राम गेंहू आटा 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जबकि प्राथमिकता वाले घरों के लाभार्थियों को प्रतिमाह, प्रति व्यक्ति अनुदान दरों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें 3 किलोग्राम गेंहू 2 रुपये प्रति किलोग्राम या 2. 800 किलोग्राम गेंहू आटा 3.20 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 किलोग्राम चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिसके कारण ही प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर के 12 लाख 13 हजार 846 एपीएल परिवारों को भी रियायती दरों पर सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एपीएल परिवारों को प्रतिमाह 19.5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 14 किलोग्राम गेंहू आटा और 5.5 किलोग्राम चावल शामिल है। एपीएल परिवारों को गेंहू आटा 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले एपीएल परिवारों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह प्रति परिवार रियायती दरों पर लगभग 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसमें 20 किलोग्राम गेंहू या 18.8 किलोग्राम गेंहू आटा और 15 किग्रा. चावल शामिल है।

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को 3608 मीट्रिक टन चीनी भी प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जा रही है, जिसकी मात्रा प्रति व्यक्ति 500 ग्राम निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को 13 रुपये प्रति किलोग्राम, एपीएल परिवारों को 30 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि आयकरदाता उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों की दुकानों में 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्रदेश में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना को भी प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। 18 मई, 2022 को प्रदेश में शुरू हुई इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक प्रदेश के किसी भी हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित की जा रही उचित मूल्य की दुकानों से रियायती दरों पर राशन ले सकते हैं। राज्य में 24457 लाभार्थी योजना का लाभ उठा रहे हैं।

हिमालयी राज्यों के संगठनो और पर्यावरणविदों ने की वन संरक्षण कानून में प्रस्तावित नियमों को रद्द करने की मांग

शिमला। हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के 60 से अधिक पर्यावरण समूहों, संगठनों, प्रख्यात विचारकों, बुद्धजीवियों और कार्यकर्ताओं ने हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पारिस्थितिकीय संकट और पर्यावरणीय दुर्गति को रोकने, जन जातीय समूह व वन निवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC) द्वारा वन संरक्षण कानून में प्रस्तावित नियमों को रद्द करने की मांग की है। मंत्रालय द्वारा यह विवादास्पद कदम कंपनियों और विकास परियोजनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने और ग्राम सभाओं की NOC को रोड़ा मानते हुए दरकिनार करने का प्रयास है जिसका पुरजोर विरोध हुआ है।

आज हिमालय में जलवायु परिवर्तन संबंधित आपदाओं, वनों के दोहन, विलुप्त होती जैव विविधता, भुसख्लन, नदियों के सूखने, ख़तम होते भूजल स्रोतों, ग्लेशियरों के पिघलने, पहाड़ों के खोखले किये जाने व ठोस और संकटमय कचरे से संबंधित प्रदूषण जैसी समस्याएं आम हैं और यहाँ कि पर्यावरणीय स्थिति अत्यंत सवेंदनशील है। पहले से ही हिमालय क्षेत्र पारिस्थितकीय और भौगोलिक रूप से अत्यंत नाजुक होने के लिए जाना जाता है, जहां प्रकृति से छोटी सी छेड़छाड़ भी व्यापक असर डालती है जिसका लाखों – करोड़ों लोगों के जीवन पर तीव्र प्रभाव पड़ता है।

पिछले कुछ सालों में पर्यावरणीय मानदंडों और सामाजिक जवाबदेही के प्रावधानों के बढ़ते उल्लंघन जिसमे से एक रही पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में कम होती लोकतांत्रिक जन – भागीदारी ने इस स्थिति को और गंभीर कर दिया है। ऐसे में वन संरक्षण कानून के नियमो में 2017 में हुआ संशोधन जिसमें वन अधिकार कानून के तहत NOC लेने का प्रावधान जोड़ा गया था, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लिया गया एक आशारूपी कदम था। लेकिन इस बार के प्रस्तावित नियमों के अनुसार परियोजना के दूसरे चरण के बाद ग्राम सभा कि NOC लेने का प्रावधान न सिर्फ देश कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठता है बल्कि मंत्रालयों में बैठे नीति निर्माताओं कि मंशा और मंत्रालयों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करता है।

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में चल रहे नों मीन्स नों कैंपेन से जुड़े सुंदर नेगी कहते हैं कि 'एक तरफ देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी को चुना गया और दूसरी तरफ आदिवासियों के अधिकारों को इस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। इसी तरह से चलता रहा तो ट्राइबल क्षेत्र सिर्फ मानचित्र पर ही नज़र आएगा और हिमाचल का हमारा छोटा सा ट्राइबल क्षेत्र जो अपनी संस्कृति, पर्यावरण, बोली, परंपरा, और अपनी पहचान को बड़ी – 2 कंपनियों को भेंट चढ़ने से नहीं रोक पाएगा। अंतत: हमारा देश और प्रदेश अपने प्राकृतिक संसाधनों और मानव समाज के संतुलन को खो बैठेगा जो सबके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। हमारे क्षेत्र कि नदियां तो टनलों में नजर आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी और सीमांत इलाकों में लोगों में रोष का माहोल रहेगा।

डॉ. राजा मुज़फ्फर भट, संस्थापक एवं अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर RTI आंदोलन का कहना है कि 'वन अधिकार अधिनियम लागू होने के 13 साल बाद इसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था और वन संरक्षण कानून में संशोधन करके जम्मू कश्मीर के आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को फिर से एफआरए के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा।

'नए FCA नियम 2022 अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समाज द्वारा हो रहे बड़े बांध विरोधी आंदोलन के सामने खतरा है क्योंकि ये लोगों से पहले राज्य कि सहमति को प्राथमिकता देते है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा राज्य में जल विद्युत कंपनियों के साथ 140 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए एफसीए नियम राज्य द्वारा जमीनी स्तर पर लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर नहीं देते हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से हमारे राज्य पर भारी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक आपदा मंडरा रही है, जिससे असम और बांग्लादेश के निचले इलाकों को भी खतरा है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग रेजिस्टेंस ग्रुप के एक सदस्य ने कहा।

इस संकट के मद्देनज़र अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर के हस्ताक्षरकर्ताओं ने वन संरक्षण कानून – प्रस्तावित नियम 2022 को तत्काल रद्द करने की मांग की है। वे आज के वन प्रबंधन और शासन प्रणाली के टॉप – डाउन दृष्टिकोण से एक अधिक समावेशी, भागीदारी और 'न्यायपूर्ण' वन शासन की ओर बढ़ते बदलाव की मांग करते हैं – जिसे केवल एफआरए और इसी तरह के कानूनों/विनियमों के कार्यान्वयन के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

एडीबी की परियोजना 75,800 घरों को जल आपूर्ति की सेवा से जोड़ेगी

शिमला। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार एवं आजीविका परियोजना के लिए इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्र और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।

इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मिश्र ने कहा कि यह परियोजना भारत सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और यह जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को उन्नत करेगी तथा सुरक्षित, टिकाऊ एवं समावेशी ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगी। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिए जल उपलब्ध कराना है।

कोनिशी ने कहा, 'इस परियोजना में एडीबी की भागीदारी जल प्रबंधन से संबंधित सर्वोत्तम कार्यप्रणाली प्रदान करेगी, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगी और टैरिफ सुधार में मार्गदर्शन करेगी।' उन्होंने कहा, 'ये उपाय सभी घरों में निर्बाध रूप से उपयुक्त दबाव पर जल की आपूर्ति, समावेशी स्वच्छता सेवाएं, सेवाओं के भरोसेमंद वितरण हेतु संचालन एवं रखरखाव संबंधी प्रक्रियाओं को मजबूत करने और संबंधित कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के सरकार के उद्देश्यों को पूरा करेंगे।'

हिमाचल प्रदेश राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण इलाके के लोगों को एक कुशल एवं बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा हासिल हो सके। एडीबी की परियोजना 75,800 घरों को जल आपूर्ति की सेवा से जोड़ेगी, जिससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 निवासियों को निर्बाध जल आपूर्ति मिल सकेगी। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु, इस परियोजना का लक्ष्य 48 भूजल कुओं, 80 सतह के जल के संग्रहण की सुविधाओं, 109 जल शोधन संयंत्रों, 117 पंपिंग स्टेशनों और 3,000 किलोमीटर लंबी जल आपूर्ति की पाइपलाइनों का निर्माण करना है। सिरमौर जिले में मल गाद के प्रबंधन और स्वच्छता से जुड़ा एक पायलट कार्यक्रम भी लागू किया जाएगा, जिससे 250,000 निवासियों को लाभ होगा।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत (स्थानीय स्वशासन) स्तर की ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की क्षमताओं को मजबूत करेगी। यह राज्य सरकारों द्वारा जल शुल्क नीति में किए गए सुधारों को समर्थन प्रदान करेगी और राज्य एवं जिला स्तर की परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाओं में एक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ – साथ इस परियोजना के प्रमुख हितधारकों और समुदाय आधारित संगठनों को जल प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।

एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) इस इलाके को समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1966 में स्थापित, इस संस्थान में 68 सदस्य देशों का स्वामित्व है। इनमें से 49 सदस्य देश इसी क्षेत्र से आते हैं।

निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति प्रदान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में हाल ही में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से हुए जान-माल के भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण 32 लोगों के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। भारी बारिश के कारण प्रदेश में अभी भी कम से कम 6 लोग लापता हैं और 12 घायल हो गए हैं।

मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुणा होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये तक के नए निर्माण या नए घर एवं फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी।

मंत्रिमण्डल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के निचले और मध्य क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए निजी भूमि से खैर के पेड़ों के कटान की नीति की समीक्षा करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक के दौरान कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय थुरल में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय ठठल जंगल को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और मंडी जिला के अनाह तथा खाबलेच के मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों के रूप में अपग्रेड करने के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शिंगला में नया राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने के साथ-साथ इस महाविद्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन तथा बुनियादी ढांचे के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया।

बैठक में कुल्लू जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगौटी और पुजाली में विज्ञान की कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनौन में वाणिज्य की कक्षाएं शुरू करने तथा नौ पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बराड़ा गांव में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

इसके अलावा कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सोगट में तीन पदों के सृजन सहित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में जल शक्ति विभाग के धर्मशाला जोन के अन्तर्गत भवारना में विभिन्न श्रेणियों के अपेक्षित पदों के सृजन के साथ नया जल शक्ति वृत्त कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 60 पदों को भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंडी जिला के सिद्धपुर में उत्कृष्टता केंद्र, उप निदेशक बागवानी का कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए शिमला जिला के डोडरा क्वार में विषयवाद विशेषज्ञ (बागवानी) का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगस्याड़ में आईओटी तकनीकी (स्मार्ट एग्रीकल्चर), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईओटी तकनीकी (स्मार्ट हेल्थ केयर) के नए ट्रेड शुरू करने एवं आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के डॉ.राजेन्द्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टाण्डा में सहायक प्रोफेसर के एक पद, सीनियर रेजिडेंट के एक पद और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नॉलिजिस्ट के दो पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के तहत 392 लाभार्थी परिवारों की दो वर्ष की प्रीमियम राशि को वापिस करने और 4484 लाभार्थी परिवारों के कार्ड की वैधता अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग में आबकारी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य में आबकारी प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए 16 निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में मण्डी जिला के शिक्षा खण्ड सराज-द्वितीय के ग्राम सिधयार में नई प्राथमिक पाठशाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक में लाहौल-स्पीति जिला के काजा तथा शिमला जिला के ज्योरी में राजकीय महाविद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के पक्ष में अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने प्रदेश में सीमेंट की उपलब्धता एवं गुणवत्ता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उद्योग और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक को स्थिति का जायज़ा लेने तथा तीन दिन के भीतर मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता:राज्यपाल

शिमला/शैल। देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों और अर्द्धसैनिक बलों की महिला पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पुलिस बलों में महिलाओं की

भागीदारी और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अवसर देने की आवश्यकता है।

उन्होंने पुलिस में महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को व्यापक मंच के माध्यम से उठाने के लिए आयोजित इस सम्मेलन के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दो दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा की गई होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान महिलाओं से जुड़े आवश्यक विषय सामने लाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विषय ऐसे सम्मेलनों में सामने आते हैं वह केवल यहीं तक सीमित नहीं रहते बल्कि सभी पुलिस अधिकारी जो सम्मेलन के हिस्सा बने हैं उन्हें क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वित करते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि लिंग भेद केवल प्राकृतिक विषय है लेकिन अवसर और सोच में समानता होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है जबकि वर्तमान में केवल 14 प्रतिशत महिलाएं ही शामिल हैं। यह लैंगिक भेदभाव के कारण नहीं है बल्कि अवसर न मिलने के कारण है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान उठे विभिन्न विषयों की चर्चा पुरुष वर्ग में भी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से विभिन्न पुलिस बलों के पुरुष अधिकारियों को भी इस बारे जागरूक करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सोच बदलने से चुनौतियां व समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के प्रभावी परिणामों के लिए कुछ मुख्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने नीति निर्धारकों से भी प्रचलित प्रथाओं को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी को समाज अलग दृष्टि से देखता है और उनसे ज्यादा अपेक्षा रखता है। उन्होंने पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी का जिक्र करते हुए कहा कि समाज के अनुरूप और लोगों की भावनाओं के अनुसार कार्य करने से सम्मान और बढ़ जाता है। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी प्रतिभागियों को हिमाचल भ्रमण का निमंत्रण भी दिया।

बी.पी. आर एंड.डी के महानिदेशक बाला जी श्रीवास्तव ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सी.ए.पी.एफ. के पुलिस बलों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न रैंकों की 220 महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में महिला पुलिस अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हर दो वर्षो के बाद यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया जाता है। इस तरह के सम्मेलन से महिला पुलिस में व्यापक बदलाव भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि महिला कर्मियों की संख्या पुलिस बलों में तेजी से बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि शिमला में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान पुलिस में महिलाओं की अनुकूल सोच, उनकी वर्दी, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी उपायों, प्रतिकूलताओं से निपटने की रणनीति, चुनौतियों और उनसे कैसे पार पाया जाए, जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन के दौरान संवाद सत्र भी आयोजित किए गए जिसमें प्रतिभागी अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए।

इससे पहले हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू ने राज्यपाल को सम्मानित किया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के निदेशक तेजिंदर सिंह लुथरा ने 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित विभिन्न सत्रों की विस्तृत जानकारी दी।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक नीरज सिन्हा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

आंध्र प्रदेश की प्रधान सचिव ए.आर.अनुराधा, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बैठकें छोड़ शोक संतप्त परिवार से उनका दुख सांझा करने पहुंची प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने नई दिल्ली स्थित पार्टी के सभी पूर्व निर्धारित बैठकों को बीच मे छोड़ कर अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के गांव संदोओ कटौला पहुंच कर भारी बारिश व भूस्खलन से हुई त्रास्ती पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से उनका दुख सांझा किया, जिसमें एक परिवार के आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के चलते जो दुखों का पहाड उन पर टूटा है वह बहुत ही असहनीय है जिस का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

प्रतिभा सिंह ने शोक में डूबे परिवार को अपनी सांत्वना देते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के इस कहर के आगे हम सब बेवस है।

प्रतिभा सिंह ने मंडी के उपायुक्त से जिला में भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान की जानकारी लेते हुए प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता देने को कहा। उन्होंने घायल लोगों के बेतहर उपचार व गुमशुदा लोगों को जल्द ढूढ़ने को भी कहा। उन्होंने बंद पड़ी सड़को को तुरंत बहाल करने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा।

प्रतिभा सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र कुल्लू, किन्नौर, चम्बा के उपायुक्तो से टेलीफोन पर भारी बारिश से हुए जानमाल के नुकसान का पूरा आंकलन करने और इसकी पूरी रिपोर्ट उन्हें देने को भी कहा है जिससे वह इस नुकसान की भरपाई के लिये केंद्र सरकार के समक्ष रख सकें।

इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर व कई अन्य नेता व प्रबुद्ध लोग भी साथ थे।

भाजपा का 'बम' कांग्रेस करेगी डिफ्यूज

ब – बेरोजगागरी म – मंहगाई का कांग्रेस करेगी समाधान – अल्का लाम्बा

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अल्का लाम्बा व नरेश चौहान ने राजीव भवन शिमला में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी व मंहगाई के विरुद्व कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला के रूप में आगे लेकर जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी 17 से 23 अगस्त, 2022 के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खू व सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में गांव, गली, शहर की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य स्थानों पर आपसी विचार-विमर्श के लिए मँहगाई चौपाल आयोजित करेगी

अल्का लाम्बा ने कहा कि बेरोजगारी व मंहगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 28 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बेरोजगारी व मँहगाई पर हल्ला बोल रैली आयोजित करेगी, जिसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जिला व ब्लाक कांग्रेस कमटियां एक साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर मँहगाई पर हल्ला बोल-दिल्ली चलो कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भारत के लोग मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं। दही, छाछ, पैक किए हुए खाद्यान्न जैसे आवश्यक सामानों पर अत्यधिक करों के कारण मँहगाई बढ़ रही है,

जबकि सार्वजनिक सम्पत्ति को मित्र पूँजीपतियों को हस्तांतरित करने और दिशाहीन अग्निपथ योजना की शुरुआत से रोजगार की स्थिति को बद से बदतर हो रही है। हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस इन जनविरोधी नीतियों पर लोगों में जागरुकता फैलाती रहेगी और भाजपा सरकार पर इसकी गलत नीतियों को बदलने के लिए दबाव बढ़ाएगी।

अल्का लाम्बा ने कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी द्वारा 5 अगस्त, 2022 को आयोजित देशव्यापी आन्दोलन ने सामान्य जनभावनाओं को पूर्णतया प्रतिबिंबित किया। एक राष्ट्रव्यापी जायज विरोध को काला जादू के रूप में कलंकित करने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हताशापूर्ण प्रयास बेतहाशा बढ़ती कीमतों और बेरोजगारों को नियंत्रित करने में भाजपा सरकार की पूर्ण विफलता के कारण जन्म ले रही असुरक्षा की भावना को उजागर करता है।

दिल्ली के शिक्षा मानक हिमाचल से पीछे:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शिमला, भाजपा नेता और मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते

हुए कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की पार्टी है।

उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली और पंजाब में आप सत्ता में आई है, राज्यों की स्थिति खराब हो गई है। नई दिल्ली के शिक्षा मानक हिमाचल प्रदेश से काफी पीछे हैं। हिमाचल की साक्षरता दर 99.9% है और जब राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की जाती है तो दिल्ली हिमाचल से बहुत पीछे है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है और पंजाब में स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप शासित राज्यों में लगातार बढ़ रहे ऐसे अपराध दर से लोग नाखुश हैं।

उन्होंने कहा कि आप गैर गारंटी वाली पार्टी है, उन्हें गारंटी पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि वे जहां भी सत्ता में आए हैं, निजीकरण बढ़ गया है। देखिए दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों का स्तर बढ़ा है लेकिन सरकारी स्कूलों का स्तर नीचे चला गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली शिक्षा प्रणाली में 10 हजार रिक्तियां हैं लेकिन सभी खाली हैं।

आप सपनों की पार्टी है जो कभी पूरी नहीं होती।

उन्होंने कहा कि आप को भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में उनके मंत्री जमानत पर हैं। वे घोटालों की राजनीतिक पार्टी हैं।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, वे इस राज्य में एक सीट भी नहीं जीतेंगे।

आप नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीधी सड़कों की बात कर रहे हैं लेकिन जयराम ठाकुर ने हिमाचल की घुमावदार सड़कों की कनेक्टिविटी में सुधार किया है। हमारी डबल इंजन सरकार हिमाचल में बहुत अच्छा काम कर रही है।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 16 अगस्त से शुरू

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 अक्तूबर, 2022 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन 16 अगस्त, 2022 को राज्य में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र पर तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीएम/एसडीएम)/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) के कार्यालय में कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि 16 अगस्त से 11 सितम्बर, 2022 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केन्द्रों पर राजनैतिक दलों के बूथ लेबल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान की तिथियां 27 व 28 अगस्त तथा 3 व 4 सितम्बर, 2022 हैं। उन्होंने कहा कि 26 सितम्बर, 2022 को दावे/आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा तथा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 10 अक्तूबर, 2022 को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्रदेश में सामान्य मतदाताओं की संख्या 53,88,409 है, जिसमें 27,23,840 पुरुष तथा 26,64,549 महिला व 40 अन्य मतदाता हैं। इसके अतिरिक्त सेवा अहर्ता मतदाताओं की संख्या 67,793 है, जिसमें पुरुष 66,257 व महिला 1,536 हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 54,56,202 है, जिसमें 27,90,097 पुरुष, 26,66,085 महिला तथा 20 अन्य मतदाता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूचियां 11 सितम्बर, 2022 तक इन कार्यालयों पर निःशुल्क निरीक्षण तथा विभिन्न प्रकार के दावे और आक्षेप फार्म 6, 7 व 8 जो भी समुचित हो, पर दर्ज करवाने के लिए उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक वर्तमान मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाइट http://ceohimachal.nic.in पर कर सकता है। वेबसाइट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)èVoter Helpline App (VHA) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन हेतु तथा संशोधन से सम्बन्धित) भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे में निर्वाचन विभाग के कॉल सेन्टर में निःशुल्क दूरभाष सेवा (टॉल फ्री नम्बर-1950) पर कार्यालय दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

स्वर्ण पदक विजेता सुमन रावत ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

शिमला/शैल। खेल जगत की जानी मानी हस्ती एवं हि.प्र. युवा सेवाएं व खेल विभाग से निदेशक पद से सेवानिवृत सुमन रावत मेहता ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता देवेन्द्र बुशेहरी भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाया और सदस्यता फार्म भरवा कर सुमन रावत मेहता को कांग्रेस पार्टी में उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सुमन रावत हिमाचल प्रदेश ही नहीं देश की जानी मानी धाविका रही है और अनेकों राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सुमन रावत के कांग्रेस पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।

कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के पश्चात सुमन रावत मेहता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान के उन्नत भारत को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी की नीतियों तथा मजबूत व दूरदर्शी सोच से आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 मर्तबा मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह को अपना आदर्श बताले हुए सुमन रावत ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी की प्रेरणा से मै खेल जगत में एक अलग पहचान बनाने में सफल रही। उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर मैने पार्टी की सदस्यता ली है और भविष्य में प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करुंगी।

गौरतलब है कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुमन रावत वर्ष 1986 में 3000 मीटर की दौड़ में एशियन गेंम्स में स्वर्ण पदक विजेता रही है 10 वर्षो तक लगातार अंर्तराष्ट्रीय चेंपियन रही। उसके बाद एक बेटी की मां बनने के बावजूद भी 42 किलोमीटर की दौड़ 24 दिनों में पूरी करके अपना नाम लिम्का बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज करवा कर हिमाचल का नाम रौशन किया।

अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख बौखलाहट में भाजपा:गौरव शर्मा

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड को भाजपा की संकीर्ण सोच करार दिया है और कहा की आने वाली पीढी भाजपा को तानाशाही व

लोकतंत्र की हत्या करने के लिये जानेगी। गौरव शर्मा ने कहा की जिस व्यक्ति ने देश का नाम रोशन किया हो और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करके अपना डंका पूरे देश विदेश में बजा चुका हो उस शक्श के घर भाजपा सीबीआई की रेड करवाती है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कहां ऐसे व्यक्ति को स्मानित करना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए और भाजपा राजनीतिक बदले लेने में व्यस्त है। सीबीआई एक बार फिर खाली हाथ लौटी है और भाजपा की पूरे देश में किरकिरी हो रही है क्योंकि पूरे देश की जनता जानती है की मनीष सिसोदिया के खिलाफ़ भाजपा झूठे आरोप लगाना चाहती है उन्हें बदनाम करना चाहती है क्योंकि वो बेहतर कार्य कर रहें है और भाजपा को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई देख बौखलाहट है। गौरव शर्मा ने कहा की मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ विश्व विख्यात अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपना अपने आप में हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है और भाजपा कह रही है की पैसे देकर छपवाया है अरे अगर पैसे देकर छपता तो मोदी पुरा अखबार हरोज अपने नाम का छपवाते वहां पर तारीफ करने के बजाए भाजपा ऐसे आरोप लगा रही है जिसे साफ जाहिर होता है की कितनी कुंठा में भाजपा है। भाजपा जितनी मर्जी कोशिश कर ले सीबीआई से काम नहीं चलता तो एफबीआई को विदेश से बुला ले पर मनीष सिसोदिया पाक साफ है और सच्चे देशभगत ईमानदार नेता है जिन्होंने अपना सर्वस्व देश और प्रदेश की सेवा में लगा दिया है और निरंतर जनता की सेवा मैं तत्पर है। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और भाजपा के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है और साथ ही भाजपा की तानाशाह सरकार को चेतावनी देता है की हम डरने वाले नहीं है और देश में बदलाव के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

बिलकिस बानो के दोषीयों की रिहाई–देश का दुर्भाग्य:शान्ता कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शान्ता कुमार ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 साल के बाद भी देश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इससे भी अधिक शर्म की बात यह है कि छोटी बेटियों के साथ बलात्कार के अपराधों की संख्या सबसे अधिक बढ़ रही हे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपराधी प्रभावशाली लोग होते हैं, पकड़ें ही नही जाते – पकड़े जाते है तो सबको सजा नहीं होती।

उन्होंने इसी सम्बंध में कहा कि गुजरात के बिलकिस बानो प्रकरण के समाचार ने देश के लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। वर्ष 2002 में गुजरात में गोधारा काण्ड के बाद दंगें हुए। बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों को दंगाईयों ने मौत के घाट उतार दिया। बिलकिस बानो की गोद में उसकी बेटी की भी हत्या कर दी। बिलकिस बानों उस समय पांच महीने की गर्भवती थी। परिवार के आठ लोगों की हत्या के बाद बिलकिस बानों का गैंगरेप किया गया। मुम्बई की विशेष अदालत ने 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में मुम्बई उच्च न्यायालय ने सजा को बरकरार रखा था।

शान्ता कुमार ने कहा कि 11 अपराधियों को उम्र कैद की सजा का सीधा सा अर्थ यह है कि हत्या और बलात्कार का अपराध सिद्ध हो गया था। एक परिवार के आठ लोगों की हत्या और बलात्कार के बाद उन दरिंदें अपराधियों को फांसी की सजा क्यों नहीं हुई यह समझ नहीं आता इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि अब गुजरात सरकार ने उन अपराधियों को विशेष छूट देकर जेल से रिहा कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शर्मनाक अपराध के बाद ऐसे अपराधियों को छोड़ने का मतलब यह है कि वे प्रभाव ाली लोग रहे होगें। इसीलिए उनको फांसी की सजा नहीं हुई और इसीलिए अब इनको विशेष छूट देकर छोड़ दिया गया।

शान्ता कुमार ने कहा कि इस समाचार से पूरे भारत में सबका सिर शर्म से झुक गया हैं। यही वे सब कारण है जिससे आज भी बलात्कारों की संख्या देश में बढ़ती जा रही है।

उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से विशेष आग्रह किया है कि वे अपने गुजरात प्रदेश के इस मामले पर विचार करे और उन्हें उनकी सजा को फांसी में बदलवाने

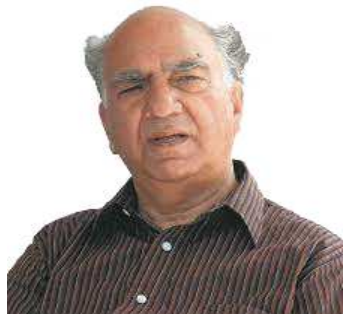

के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील दायिर करवायें।

राजभवन को गुमराह करने का लग रहा सरकार

.....पृष्ठ 1 का शेष

प्रक्रिया और नियम बनाने के निर्देश दे चुका है। राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की पालना सुनिश्चित करवाना उनका दायित्व है। जब इन नियुक्तियों की जानकारी राज्यपाल को दी गयी होगी तब यह सरकार और उसके शीर्ष प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वह अदालत के निर्देशों की जानकारी राजभवन को देता। लेकिन सरकार द्वारा यह सच छिपाकर रखना क्या राज भवन को गुमराह करने जैसा नहीं हो जाता? परन्तु अब जब इन नियुक्तियों की अधिसूचनाएं जारी हुई उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रदेश के राज्यपाल के संज्ञान में अदालत के निर्देशों को ला चुका है अब यह देखना रोचक होगा कि राज्यपाल अदालत के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवा पाते हैं या नहीं। इसी के साथ भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों से भी यह सवाल रहेगा कि वह अदालत के निर्देशों के प्रति कोई सम्मान दिखाते हैं या नहीं। चुनावों के वक्त पर आये इस फैसले के परिणाम दूरगामी होंगे यह तय है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

This Court has had the occasion to consider the qualities which a person should have for being appointed as Chairman and Member of Public Service Commission and has made observations after considering the nature of the functions entrusted to the Public Service Commissions under Article 320 of the Constitution. In Ashok Kumar Yadav & Ors. v. State of Haryana & Ors. (supra), a Constitution Bench of this Court speaking through P.N. Bhagwati, J, observed: "We would therefore like to strongly impress upon every State Government to take care to see that its Public Service Commission is manned by competent, honest and independent persons of outstanding ability and high reputation who command the confidence of the people and who would not allow themselves to be deflected by any extraneous considerations from discharging their duty of making selections strictly on merit." In R/O Dr. Ram Ashray Yadav, Chairman, Bihar Public Service Commission (supra), Dr. A.S. Anand, C.J. speaking for a three Judge Bench, cautioned: "The credibility of the institution of a Public Service Commission is founded upon the faith of the common man in its proper functioning. The faith would be eroded and confidence destroyed if it appears that the Chairman or the members of the Commission act subjectively and not objectively or that their actions are suspect. Society expects honesty, integrity and complete objectivity from the Chairman and members of the Commission. The Commission must act fairly, without any pressure or influence from any quarter, unbiased and impartially, so that he society does not lose confidence in the Commission. The high constitutional trustees, like the Chairman and members of the Public Service Commission must forever remain vigilant and conscious of these necessary adjuncts."

I, therefore, hold that even though Article 316 does not specify the aforesaid qualities of the Chairman of a Public Service Commission, these qualities are amongst the implied relevant factors which have to be taken into consideration by the Government while determining the competency of the person to be selected and appointed as Chairman of the Public Service Commission under Article 316 of the Constitution. Accordingly, if these relevant factors are not taken into consideration by the State Government while selecting and appointing the Chairman of the Public Service Commission, the Court can hold the selection and appointment as not in accordance with the Constitution. To quote De Smith's Judicial Review, Sixth Edition: "If the exercise of a discretionary power has been influenced by considerations that cannot lawfully be taken into account, or by the disregard of relevant considerations required to be taken into account (expressly or impliedly), a court will normally hold that the power has not been validly exercised. (Page 280)

Conclusion:

The appointment of the Chairperson of the Punjab Public Service Commission is an appointment to a constitutional position and is not a "service matter". A PIL challenging such an appointment is, therefore, maintainable both for the issuance of a writ of quo warranto and for a writ of declaration, as the case may be.

In a case for the issuance of a writ of declaration, C.A. No. 7640 of 2011 exercise of the power of judicial review is presently limited to examining the deliberative process for the appointment not meeting the constitutional, functional and institutional requirements of the institution whose integrity and commitment needs to be maintained or the appointment for these reasons not being in public interest.

The circumstances of this case leave no room for doubt that the notification dated 7th July 2011 appointing Mr. Harish Rai Dhanda was deservedly quashed by the High Court since there was no deliberative process worth the name in making the appointment and also since the constitutional, functional and institutional requirements of the Punjab Public Service Commission were not met.

In the view that I have taken, there is a need for a word of caution to the High Courts. There is a likelihood of comparable challenges being made by trigger-happy litigants to appointments made to constitutional positions where no eligibility criterion or procedure has been laid down. The High Courts will do well to be extremely circumspect in even entertaining such petitions. It is necessary to keep in mind that sufficient elbow room must be given to the Executive to make C.A. No. 7640 of 2011 constitutional appointments as long as the constitutional, functional and institutional requirements are met and the appointments are in conformity with the indicators given by this Court from time to time.

Given the experience in the making of such appointments, there is no doubt that until the State Legislature enacts an appropriate law, the State of Punjab must step in and take urgent steps to frame a memorandum of procedure and administrative guidelines for the selection and appointment of the Chairperson and members of the Punjab Public Service Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated.

The Civil Appeals are disposed of as directed by Brother Patnaik.

..... J.
(Madan B. Lokur)

राज्यपाल का आमन्त्रण

To

1. Dr. Rachna Gupta, Member,
H.P. Public Service Commission,
Nigam Vihar, Shimla-171002.
2. Sh. Rakesh Sharma, IAS,
C/o Magisterail Bunglow, Ward No. 2,
Ramgali, Hamirpur, Distt. Hamirpur, H.P.
3. Col. Rajesh Kumar Sharma (Retd.),
Upper Dari, Ward No. 14, Dharamshala,
Distt. Kangra (H.P.)-176057
4. Prof. (Dr.) Om Prakash Sharma,
Vill. Jagrah, P.O. Bamta, Teh. Chaupal,
Distt. Shimla (H.P.)-171211

Dated: Shimal-171002, the 17th August, 2022

Subject: Appointment of Chairman and Members in Himachal Pradesh Public Service Commission- administering of oath thereof.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's Notifications of even number dated 17-08-2022, vide which you have been appointed as Chairman and Members respectively in Himachal Pradesh Public Service Commission and to inform you that HE the Governor of Himachal Pradesh has pleased to administer oath to you as Chairman & Members of the Commission in the presence of Chief Secretary at Raj Bhavan, Shimla on 18-08-2022 at 08:30 AM.

You are, accordingly requested to kindly make it convenient to be present for the oath taking ceremony on the schedule date, time and venue.

Yours faithfully,
(Balbir Singh)
Deputy Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph. No. 0177-2880851
e-mail: persbr2-hp@nic.in

Contd/2--

डॉ. रचना गुप्ता का पत्र

To

The Hon'ble Governor
Himachal Pradesh.

Respected Sir,

I feel honoured as well as grateful to you and the Government for appointing me as Chairman of HP Public Service Commission, vide: notification No. Per (AP-B)-B(2)-1/2020 dated on 17th August 2022.

I express my gratitude for considering a woman for this post and giving me an opportunity to serve this assignment. But Sir, at present due to certain reasons I am not in a position to take up this post.

With thanks and regards.

Yours faithfully
Dr. Rachna Gupta
Member
HPPSC, Nigam Vihar,
Shimla.

हिमाचल उच्च न्यायालय का निर्देश

The Court said that it hopes that the State of H.P. must step in and take urgent steps to frame memorandum of Procedure, administrative guidelines and parameters for the selection and appointment of the Chairperson and Members of the Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated